

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2017/डी-1429

दिनांक:- 21/7/2017

--कार्यवाही विवरण--

विषय :- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 194वीं बैठक दिनांक 18.07.2017 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
1.	194.1	-	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 193वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 193वीं बैठक दिनांक 30.06.2017 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 12 पर लिये गये नीतिगत निर्णय के बिन्दु संख्या 1 पर उल्लेखित आदेश क्रमांक प. 2(30)नविवि/2016 पार्ट 1516-30 में अंकित दिनांक 22.04.2017 के स्थान पर दिनांक 25.04.2017 पढ़ी जावे तथा बिन्दु संख्या 3 से 5 राज्यादेश क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 27.06.2017 के निर्देशानुसार है यह बिन्दु संख्या 3 के पूर्व अंकित किया जावे। समिति द्वारा शेष निर्णयों की क्रियान्विती पर संतोष व्यक्त किया गया।
2.	194.2	07	श्री अमित कोटेचा, पार्टनर, रिद्धि सिद्धि प्राईम बिल्डर्स के खसरा नम्बर 143/3, लालरपुरा, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावे। आपेक्षित राशि जमा होने व वांछित शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावे।
3.	194.3	08	श्री सतवीर चौधरी, निदेशक, उदयराज पैलेस प्रा.लि. के खसरा नम्बर 107, 108, 109, 110, 112, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मौके पर Existing सड़क व प्रस्तावित 60 मीटर सड़क के संबंध में उपायुक्त जोन से रिपोर्ट ली जावे। यह रिपोर्ट प्राप्त होने पर मौके पर उपलब्ध सड़क के अनुसार आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र, परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात एवं मांग राशि जमा होने तथा प्रकरण में EWS-LIG के वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के पश्चात; प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।
4.	194.4	08	श्री कपिल रायसिंघानी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता फॉर हरे कृष्णा बिल्डहोम डवलपर्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 22, 22/1, 23, 23/1 एवं 24/1, ग्राम-मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील-सांगानेर, जयपुर (महिमा ईलान्जा) के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावे। आपेक्षित राशि जमा होने तथा भवन की ऊँचाई 45 मीटर से अधिक होने के कारण सक्षम स्तर से स्ट्रक्चरल सेफ्टी का प्रमाण पत्र तीन माह में प्रस्तुत किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावे।
5.	194.5	08	श्री कपिल रायसिंघानी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स शिवकृपा	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावे। आपेक्षित राशि

Ch

1/7

			बिल्ड एस्टेट प्रा.लि. के खसरा नम्बर 449/30, 451/31, 453/33, 448/30, 452/33, 447/30, 465/30, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	जमा होने व लेबर रोस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
6.	194.6	08	डॉ. प्रभात पंकज, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, इन्टीग्रेल एज्यूकेशन सोसायटी के भूखण्ड संख्या 01, बम्बाला पुलिया, टीबा श्योपुर, टोल टैक्स, टॉक रोड, सांगानेर, जयपुर पर प्रस्तावित हॉस्टल ब्लॉक के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
7.	194.7	09	श्री कपिल रायसिंघानी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स ग्रीन रियल होम डवलपर्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 310 व 311, ग्राम चकगैटोर, तहसील सांगानेर, जयपुर (स्टूडियो पनाश) के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन से स्वामित्व व लेखा रिपोर्ट ली जाकर आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्यादेश दिनांक 27.06.2017 व बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
8.	194.8	11	श्री अजय गोयल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, फॉर लश्करी डवलपर्स प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या 11/1A/S-14, रिग रोड, सर्विस रोड 100'-00", अजमेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्यादेश दिनांक 27.06.2017 व बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने तथा चौकीदार रूम को हटाने के लिए अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
9.	194.9	11	श्री कपिल रायसिंघानी, अधिकृत प्रतिनिधि, मैसर्स ग्रीन बिल्ड एस्टेट प्रा.लि. के खसरा नम्बर 129 से 137, 141, 142, 142/239 व 282/138, ग्राम चिमनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर (महिमा शुभ निलय फेज-1) के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। मौके पर 40 फीट सड़क की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए 15 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र मांग पत्र की राशि जमा होने के पश्चात अनुमोदित किये जावें।
10.	194.10	11	श्री कपिल रायसिंघानी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, महिमा रियल एस्टेट प्रा0 लि0 के खसरा नम्बर 881, 882, 896, 929, 930, 931, 1886/880, 1887/928, 1888/932, ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर,	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये:- 1. पार्ट ए के अधिवास प्रमाण पत्र बाबत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि जविप्रा भवन विनियम व रेरा के इस बाबत प्रावधान पृथक-पृथक हैं। तदानुसार अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावें। आवेदक द्वारा दिनांक 17.7.2017 को प्रतिवेदन देकर पार्ट ए का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट चाहा गया है, जिसे समिति द्वारा

Ch

2/7

			जयपुर (महिमा निर्वाण) पार्ट-ए के आंशिक अधिवास प्रमाण पत्र एवं पार्ट बी के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	सर्वोकार किया गया व निर्णय लिया गया कि पार्ट ए का कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जायें। 2. पार्ट बी के संशोधित मानचित्र हेतु नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जायें। आपेक्षित राशि जमा होने के पश्चात संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जायें।
11.	194.11	11	श्री राजेश मून्दड़ा पुत्र श्री गिरधर गोपाल मुन्दड़ा के खसरा नम्बर 1498, 1499, 1500, 1501, ग्राम भांकरोटाकला, तहसील सांगानेर, जयसिंहपुरा रोड़, अजमेर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावे। आपेक्षित राशि जमा होने व चौकीदार रूम हटाने के लिए अण्डरटेकिंग ली जायें। तत्पश्चात् मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जायें।
12.	194.12	11	श्री राजु नारायण बैराठी एवं श्री जुगल किशोर चौधरी, पार्टनर, मैसर्स अरावली बिल्डर्स के खसरा नम्बर 34, 36/8, 59/550, ग्राम मदारु, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 3ए के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन से स्वामित्व व लेखा रिपोर्ट ली जाकर आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जायें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र, परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जायें।
13.	194.13	11	श्री खेतेन्द्र शर्मा, पार्टनर, समन्वय बिल्डहोम मुख्यत्यारआम श्री सूजाराम जाट के खसरा नम्बर 7/448, 9, 10, 11, 25, 28, ग्राम चतरपुरा उर्फ लाल्या का बास, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जायें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र, परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जायें।
14.	194.14	12	श्री राजेश काबरा, मुखत्यारआम, श्री कैलाश चन्द शर्मा, श्रीमती गीता शर्मा, श्रीमती कान्ता शर्मा के खसरा नम्बर 570, 571, 572, ग्राम राजावास, तहसील आमेर, सीकर रोड़, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अफोडेबल आवास के भवन मानचित्र अनुमोदन करने बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर दी गई है। राज्यादेश दिनांक 22.06.2017 व बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जायें।
15.	194.15	12	श्री अरुण कुमार राठी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, अयान बिल्डटेक प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या जी. एच.-III, सनसिटी, ग्राम नीडड़, सीकर रोड़, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय के संशोधित	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जायें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा प्रस्तावित बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र, परियोजना में 20,000

			भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
16.	194.16	12	श्री मोहन शर्मा, निदेशक, मैसर्स एम.बी.आर.आर. बिल्डकॉन प्रा. लि. के खसरा नम्बर 533, ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र, परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
17.	194.17	12	एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड, ग्राम बोयतावाला, बेनाड़ रोड़, जयपुर के निर्माणाधीन भवन के संबंध में।	प्रकरण पर समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये:- 1. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10(7)नवि/3/2009 पार्ट 3 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार यह भूखण्ड रक्षा संस्थान की बाहरी सीमा से 10 मीटर से अधिक दूरी पर (कुल 61 मीटर पर) हैं। अतः निर्माण की सील खुलवाई जाकर निर्माण कार्य जविप्रा द्वारा किये गये मानचित्र अनुमोदन अनुसार करने दिया जावें। 2. इस बाबत मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) को एजेण्डा व निर्णय की प्रति भिजवाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें।
18.	194.18	13	श्री ओम माहेश्वरी, निदेशक, मैसर्स एक्सक्लूसिव एक्सपोर्ट प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या 54, 55, 56, ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित होटल के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक का नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। आपेक्षित राशि जमा होने के पश्चात संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
19.	194.19	14	श्री विपुल गिलारा, निदेशक, मैसर्स जनक नन्दिनी इन्फ्रा स्ट्रक्चर्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 423, ग्राम सालिगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्यादेश दिनांक 22.06.2017 व बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
20.	194.20	14	श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री रामबाबू गुप्ता के खसरा नम्बर 212/1 व 213, ग्राम मथुरावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र, परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेंट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र

2

4/7

21.	194.21	16	श्री चरणसिंह खंगारोत, जरिये साझेदार, गोरबन्द कोर्ट एण्ड पैलेस एलएलपी के भूखण्ड संख्य जी.एच. 8, गोकुल नगर, गोकुलपुरा व झोटवाडा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें। प्रकरण पर समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम आवेदक से EWS-LIG हेतु नियमानुसार प्रस्ताव लिया जावें। तत्पश्चात प्रकरण पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावें।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।				
22.	194.22	08	श्री उमेश गुप्ता, निदेशक, फॉर प्रेमसागर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 88, ग्रुप हाउसिंग, ग्राम सुखिया (रामपुरा), तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। मौके पर 48 मीटर चौड़ी सड़क उपलब्ध नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त किया गया।
23.	194.23	11	श्री मिश्रीलाल रावत, श्रीमती कृष्णा रावत, श्रीमती प्रिया रावत, श्रीमती कनक रावत, श्री उमेश रावत, श्री रविन्द्र रावत, जरिये मुख्यत्यारआमखास, श्री हनुमान सहाय यादव के खसरा नम्बर 1758, 1759, 1760, 1762, 1770, 1772/1, 1771, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर के मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा प्रस्तावित बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने हेतु शपथ पत्र, परियोजना में 20,000 वर्गमीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक होने के कारण विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण अधिनियम की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र एवं लेबर सेस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने तथा मौके से एल.टी. लाईन हट जाने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें।
24	194.24	12	श्री मनोज यादव, निदेशक, मैसर्स आदर्श अफॉडेबल हाउसिंग प्रा.लि. के खसरा नम्बर 490, 491, 492, 493 एवं 498/2, ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम उपायुक्त जोन के स्तर पर साईट प्लान में दर्शित 24 मीटर सड़क बाबत मौके व राजस्व रिकार्ड से वैरिफिकेशन की जाकर सड़क क्षेत्र की स्थिति स्पष्ट की जावें। तत्पश्चात प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावें।
25	194.25	12	ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सांगानेर में अनुमोदित व्यावसायिक भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 10010.63 वर्गमीटर का दो व्यावसायिक भूखण्डों में उपविभाजन करवाने बाबत।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार उपविभाजन का अनुमोदन किया गया। प्रकरण 10010.69 वर्गमीटर क्षेत्र के व्यावसायिक भूखण्ड के उपविभाजन का है, अतः प्रकरण में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाकर तथा आपेक्षित राशियां जमा कर प्रकरण का जोन स्तर पर निस्तारण कर दिया जावें।
26	194.26	18	श्री चरणसिंह खंगारोत, निदेशक, फॉर शिवविलास रियल होम प्रा.लि. के भूखण्ड संख्या जी.एच.-2, शिवविहार योजना, ग्राम मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जयपुर के	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट ली जाकर आवेदक को नियमानुसार मांग पत्र जारी किया जावें। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.04.2017, 22.06.2017 व 27.06.2017 तथा बीपीसी-बीपी दिनांक 30.06.2017 के नीतिगत निर्णय के क्रम में भवन मानचित्रों में अग्निशमन संबंधी आवश्यक मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करने

			प्रस्तावित EWS/LIG के मवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	हेतु शपथ पत्र एवं लेबर रोस लेबर डिपार्टमेन्ट में जमा करवाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने एवं मांग राशि जमा होने के पश्चात मानचित्र अनुमोदित कर जारी कर दिये जावें।
27.	194.27	-	नीतिगत निर्णय:-	समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नवत नीतिगत निर्णय लिये गये:- 1. रेरा के प्रावधान राज्य में प्रभावी हो जाने के पश्चात मुख्यमंत्री जन आवास योजना की विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण से जविप्रा पर आने वाली जिम्मेदारियों व उत्तरदायित्वों (LIABILITIES) के संबंध में विचार किये जाने हेतु निदेशक आयोजना की अध्यक्षता में व निदेशक (विन), अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (तृतीय) व सदस्य सचिव (बीपीसी-बीपी) की कमेटी का गठन किया जावें। कमेटी की रिपोर्ट आयुक्त महोदय को सात दिवस में प्रस्तुत की जावेंगी। 2. जविप्रा भवन विनियम में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए अनुमोदित मानचित्रों के अनुरूप निर्माण की जांच करना प्रावधानित है, जबकि रेरा के प्रावधानों में सीवरेज, वाटर सप्लाई व इलैक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम की जांच करना प्रावधानित है। अतः इस संबंध में अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ के स्तर पर जांच कर रिपोर्ट ली जाकर प्रकरणों का निस्तारण किया जावें।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।




सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2017/डी-1429
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 21/7/2017

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति० आयुक्त (पूर्व)/प्रशासन/(एलपीसी)/(भूमि), जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त जोन-07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16 एवं 18, जविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।



वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

6/7

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 194वीं बैठक दिनांक 18.07.2017 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री वैभव गालरिया, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री एच. गुईटे, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्रीमती लंघन शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 4. श्री नीरज तिवाड़ी, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बीपीसी (बीपी), जविप्रा, जयपुर | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :-

1. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (बीपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन-08, जविप्रा, जयपुर
3. श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री करण सिंह गोठवाल, उपायुक्त (पी.आर.एन. नार्थ-प्रथम), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ओम थानवी, तहसीलदार, उपायुक्त जोन-09, जविप्रा, जयपुर।
6. अरबन प्लानर जोन - 11 तथा आर्कीटेक्ट बीपीसी (बीपी) जविप्रा, जयपुर
7. श्रीमती उमा जैन, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।

21/7-2017
वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

7/7